

कार्यालय आदेश

प्रबन्धक अमर ज्योति मौडर्न स्कूल जेवर रोड झाझर विकास क्षेत्र सिकन्द्राबाद का दिनांक 25.5.2022 का पत्र प्राप्त हुआ । जिसमें उनके द्वारा विद्यालय की मान्यता को तीन वर्ष पूर्ण हो जाने पर स्थायी करने का अनुरोध किया है ।

शासनादेश सं० 419/79-6-2013-18(20)/91 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 8.5.2013 में प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों को दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी । इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है ।

प्रबन्धक अमर ज्योति मौडर्न स्कूल जेवर रोड झाझर विकास क्षेत्र सिकन्द्राबाद के शपथ पत्र व खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र सिकन्द्राबाद की आख्या के आधार पर अमर ज्योति मौडर्न स्कूल जेवर रोड झाझर विकास क्षेत्र सिकन्द्राबाद की मान्यता को स्थायी किया जाता है ।

E
(अखण्ड प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर

पृ०स० / मान्यता / 1529-30 / 2022-23 तददिनांक
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1-खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र सिकन्द्राबाद ।

2-प्रबन्धक अमर ज्योति मौडर्न स्कूल जेवर रोड झाझर विकास क्षेत्र सिकन्द्राबाद ।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर